प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 22.09.2025

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **एक अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर और दूसरे अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर किए गए बरामद।**

कृपया अवगत कराना है जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा अवैध शस्त्र बरामदगी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 22.09.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त हारून पुत्र इस्लाम निवासी मोहल्ला कटरा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को कालेश्वर मन्दिर जाने वाले रोड पुलिया से 50 कदम आगे थाना क्षेत्र भोगनीपुर से पुलिस हिरासत में लिया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-313/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 22.09.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त मो0 शाकिब पुत्र मो0 मकसूद निवासी ग्राम बील्हापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को अमरौधा मोड़ NH 27 से अमरौधा की ओर लगभग 80 कदम की दूरी पर थाना क्षेत्र भोगनीपुर से पुलिस हिरासत में लिया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 312/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम-पता-

1. हारून पुत्र इस्लाम उम्र करीब 36 वर्ष निवासी मोहल्ला कटरा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मो0 शाकिब पुत्र मो0 मकसूद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बील्हापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त हारून पुत्र इस्लाम उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त मो0 शाकिब पुत्र मो0 मकसूद उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त हारून पुत्र इस्लाम उपरोक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त हारून उपरोक्त ने बताया कि मैं बहुत समय से यह तमंचा अपने पास रखता हूँ, जब रात में निकलता हूँ तो साथ लेकर चलता हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो मैं तमंचा कारतूस लेकर खेतों की तरफ घूमने निकला था कि आप लोगों ने पकड लिया।

अभियुक्त मो0 शाकिब पुत्र मो0 मकसूद उपरोक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त मो0 शाकिब ने बताया कि मैं तमंचा शौकिया तौर पर अपनी सुरक्षा के लिये रखता हूँ, जिससे मैं क्षेत्र में अपना भौकाल बना सकूँ। आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया व गलती की माफी मांगने लगा।

अभियुक्त हारून पुत्र इस्लाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 312/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 70/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 183/2019 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त मो0 शाकिब पुत्र मो0 मकसूद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 312/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 129/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 501/2022 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 93/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 280/2021 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस